23-6-16 पत्रावली राजस्व लोक अदालत हेतु निकाली गयी। उक्त वादी एवं प्रतिवादीगण के हस्ताक्षर बाद तामील/कब्जा उक्त वादी एवं प्रतिवादीगण उपस्थित तामील प्राप्त नहीं हुये। वादी एवं प्रतिवादीगण उपस्थित नहीं। प्रतिवादी की [illegible] की मृत्यु हुये करीब 2 वर्ष से उपरांत भी कायम मुकाम अधिक का समय हो जाने के उपरान्त भी कायम मुकाम का प्रार्थना पत्र आज दिन तक प्रस्तुत नहीं किया गया। जबकि प्रतिवादी को मरे हुए कितने ही वर्ष हो गये। जिसकी सूचना वकील वादी को दिनांक 30-8-2012 को दे दी जा चुकी थी। फिर भी इतना लम्बा समय व्यतीत हो जाने के बाद भी निर्धारित सीमा अवधि में प्रतिवादी के विधिक वारिसान को रेकर्ड पर लेने

(देवी सिंह)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर माण्डल

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज |
|---|---|
| | हेतु प्रार्थना पत्र O 22 R 4 जा.दी. का प्रस्तुत नहीं किया<br>जिससे विधिक वारिसान भी रेकार्ड पर नहीं लिये जा<br>सके। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी नं. 1 के विरुद्ध<br>कार्यवाही Drop की जाती है।<br>वाद पत्र एबेट किया जाकर आपसी राजीनामा पूर्व में ही प्रस्तुत<br>प्रतिवादी नं. 3 व 4 द्वारा आपसी राजीनामा तस्दीक<br>किया जा चुका है इस कारण आपसी राजीनामा<br>दी वाद पत्र स्वीकार किया जावे।<br>वादी के वाद पत्र एवं प्रतिवादी नं. 3 व 4 द्वारा प्रस्तुत<br>आपसी राजीनामा पर मनन किया गया। न्याय हित में,<br>वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक<br>वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण के इस आशय की जारी की जाती<br>है कि ग्राम लेकवा पटवार हल्का लेकवा तहसील मांडल<br>में स्थित हाल आराजी 459 रकबा 8 बीघा 10 बिस्वा,<br>457/1 रकबा 5 बिस्वा, 458/1 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा कुल<br>किता 3 रकबा 9 बीघा 15 बिस्वा में से प्रतिवादी नं. 1 व 2<br>द्वारा आराजी नं. 457/1 में से 5 बिस्वा भूमि पर व आराजी<br>नं. 458/1 में से 1 बीघा 1 बिस्वा व आराजी नं. 459 में से<br>1 बीघा 7 बिस्वा भूमि पर प्रतिवादी नं. 3 व 4 का कब्जा नाजायज<br>होना बेदखल किये जाने का आदेश दिया जाता है।<br>उसी अनुसार प्रतिवादीगण को वादी के खाते व<br>नवर्ज काश्त की आराजियात से बेदखल कर<br>कब्जा सुपुर्द किया जावे। खर्चा फरीकेन अपना-<br>अपना वहन करें। तदनुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली<br>फैसल शुमार की जाकर दफ्तर दाखिल हो।<br><br>(देवी सिंह)<br>पीठासीन अधिकारी<br>उपखण्ड अधिकारी एवं<br>पदेन सहायक कलक्टर माण्डल |

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
# लोक अदालत कैम्प कोर्ट–लेसवा तहसील मांडल

:: मूल वाद में डिक्री ::

(आदेश 20 नियम 6–7 जा0दी0)

पीठासीन अधिकारीः– श्री देवीसिंह रावत, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–87/2012 राजस्व वाद

वादपत्र अन्तर्गत धारा 183–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

श्री भैरू पिता भूरा खारोल, उम्र बालिग निवासी नाहरगढ़ तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

–––––वादी

बनाम

1–श्री छीतर पिता नगजीराम खारोल, उम्र बालिग निवासी नाहरगढ़ तहसील मांडल

2–श्री अमरचन्द पिता नगजीराम खारोल, उम्र बालिग निवासी नाहरगढ़ तहसील मांडल

3–श्री मांगू पिता पन्ना खारोल, उम्र बालिग निवासी नाहरगढ़ तहसील मांडल

4–श्री सत्यनारायण पिता पन्ना खारोल, उम्र बालिग निवासी नाहरगढ़ तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

5–राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर महोदय, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

–––प्रतिवादीगण

–––––

वादी की ओर से –– एडवोकेट और प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की ओर से श्री – एडवोकेट की उपस्थिति में इस वाद के आज दिनांक 23.6.2016 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि और डिक्री की जाती है कि – और इस मद के खर्चे लेखों प्रतिशत रूपयों की राशि आज तारीख से वसूली तारीख तक उस पर प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित द्वारा राशि – को दी जायें।

न्याय हित में वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण के इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम लेंसवा पटवार हल्का लेंसवा तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी नम्बर 459 रकबा 8 बीघा 10 बिस्वा, 457/1 रकबा 4 बिस्वा, 458/1 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, कुल किता 3 रकबा 9 बीघा 15 बिस्वा में से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा आराजी नम्बर 457/1 में से 4 बिस्वा भूमि पर व आराजी नं0 458/1 में से 1 बीघा 1 बिस्वा पर व आराजी नम्बर 459 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 3 व 4 का नाजायज कब्जा होने से बेदखल किये जाने का आदेश दिया जाता हैं। उसी अनुसार

(देवी सिंह)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एव
पदेन सहायक कलक्टर माण्डल

प्रतिवादीगण को वादी के खाते व कब्जे काश्त की आराजियात से बेदखल कर कब्जा सिपुर्द किया जावें। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करें।

(देवीसिंह रावत )
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी,
मांडल जिला भीलवाड़ा

(देवी सिंह)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर माण्डल

आज दिनांक 23.6.2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी

उपखण्ड अधिकारी,
मांडल जिला भीलवाड़ा

(देवी सिंह)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर माण्डल